राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुलाब बाई बनाम राजेश सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	992/2018	
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दिनांक 08/04/2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रेस्पो. संख्या 3 का नाम हजफ किये जाने पर सुनी गयी	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र नाम हजफ स्वीकार किया जाकर रेस्पो. संख्या 3 गीता देवी पत्नी प्रभू का नाम हजफ किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है	तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/05/2026 को पेश हो		
25/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर आदेश दिनांक 11/09/2008 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 14 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21/07/2009 को अंडरटेकिंग दिये जाने के पश्चात जवाब पेश किये जाने का समय लेकर जवाब पेश नही किये जाने एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 14 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये तथा अप्रार्थी संख्या 15 के जवाब पेश किया जाने पर उनकी बहस एवं वादी की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/09/2018 पारित करते हुये मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 15/अपीलार्थीयां को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है एवं अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रकरण के तथ्यों का प्रथमदृष्टया विवेचन किया जाना प्रकट नही होता है	ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुन:		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुलाब बाई बनाम राजेश सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	992/2018	

पक्षकारान की सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/09/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थीगण सहित शेष पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर